FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ......उपखण्ड अधिकारी...... मुकाम ......कोटा......

......देवीलाल वगै०...... बनाम ......सरकार......

किस्म मुकदमा ......L.R. Act · 136...... नं. ......66...... सन् ......2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/7/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी देवी लाल वगै0 की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ......29/7/25...... को पेश हो।	
29/7/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी देवीलाल वगै0 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता स्व0 कालूलाल वल्द रघुनाथ की चचेरी बहिन पार्वती पुत्री कुन्दलाल के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता सं0 174 की खसरा नं0 1585 की 0.96 है0, ख0नं0 1586 की 0.91 है0, ख0नं0 1587 की 0.96 है0, ख0नं0 1588 की 0.18 है0, ख0नं0 1589 की 0.10 है0, ख0नं0 1590 की 0.21 है0, ख0नं0 1591 की 0.44 है0 कुल 7 किता रकबा 3.30 है0 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम बनियानी पटवार हल्का बनियानी, तह0 लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है, जिसमें श्रीमती पार्वती का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। जो कि जमाबन्दी 2071–74 व जमाबन्दी 2077 में दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबन्दी में वर्णित आराजियात में सेटलमेन्ट के पश्चात जो जमाबन्दी जारी की गई उसमें पार्वती पत्नि कुन्दलाल क्रमांक 3 पर दर्ज किया गया है, जो कि गलत है, जब कि पार्वती स्व0 कुन्दन लाल की पत्नि न होकर कुन्दन लाल जी की पुत्री है तथा पार्वती के नाम जारी निर्वाचन कार्ड, तथा अन्य समस्त दस्तावेज मैं उसका नाम पार्वती पुत्री स्व0 कुन्दन लाल ही अंकित है, किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी आधार के पार्वती पुत्री स्व0 कुन्दन लाल के स्थान पर जमाबन्दी जो सेटलमेन्ट बाद जारी की गई उसमें पार्वती पत्नि स्व0 कुन्दन लाल अंकित कर दिया है, जब कि पार्वती स्व0 देवकरण की पत्नि है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाते हुये प्रार्थना पत्र की मद सं0 1 में वर्णित संयुक्त खाते की खाता सं0 174 की ख0नं0 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591 की कुल 7 किता रकबा 3.30 है0 वाके ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की जमाबन्दी व रिकार्ड में 1/3 हिस्से की खातेदार पार्वती पत्नि स्व0 कुन्दन लाल के स्थान पर पार्वती पुत्री स्व0 कुन्दन लाल दुरूस्त करते हुये इसी अनुसार रिकार्ड व जमाबन्दी में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। खर्चा प्रार्थना पत्र व अन्य सहायता जौ न्यायोचित हो वह प्रार्थीगण को प्रदान फरमाई जावे। पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा कथन किया गया कि ग्राम बनियानी के खसरा नं0 1585 की 0.96 है0, ख0नं0 1586 की 0.91 है0, ख0नं0 1587 की 0.96 है0, ख0नं0 1588 की 0.18 है0, ख0नं0 1589 की 0.10 है0, ख0नं0 1590 की 0.21 है0, ख0नं0 1591 की 0.44 है0 कुल 7 किता रकबा 3.30 है0 खातेदार पारवती पत्नि कुन्दनलाल हि0 1/3 जाति गुर्जर सा0 खोडिया खेडी दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक गांव वालो की जानकारी पारवती पत्नि कुन्दलाल की पत्नि नही होकर पुत्री होना बताया गया। सवहन से पुत्री की जगह पत्नि दर्ज हो गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन किया गया। दस्तावेज एवं पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि पार्वती पत्नि कुन्दनलाल सहवन से दर्ज हुआ है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी देवीलाल वगै0 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम बनियानी के खसरा नं0 1585 की 0.96 है0, ख0नं0 1586 की 0.91 है0, ख0नं0 1587 की 0.96 है0, ख0नं0 1588 की 0.18 है0, ख0नं0 1589 की 0.10 है0, ख0नं0 1590 की 0.21 है0, ख0नं0 1591 की 0.44 है0 कुल 7 किता रकबा 3.30 है0 में पारवती पत्नि स्व0 कुन्दनलाल के स्थान पर पारवती पुत्री स्व0 कुन्दनलाल दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 29/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा) गजेन्द्र सिह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	